भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
(INDIAN EVIDENCE ACT, 1872)

2016

सामान्य (धारा 1-4)

☞ **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 अधिनियमित हुआ था :**

(a) 6 अक्टूबर, 1860 में
(b) 1 मार्च, 1874 में
(c) 15 मार्च, 1872 में
(d) 1 सितम्बर, 1872 में

उत्तर (d) **[Uttarakhand A.P.O. 2016]**

व्याख्या—भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, 1 सितम्बर से प्रवृत्त हुआ।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव, अध्याय 1 : प्रारम्भिक।

☞ **सही उत्तर इंगित कीजिये :**
साक्ष्य विधि

(a) लैक्स टैलीनिस है
(b) लैक्स फौरी है
(c) लैक्स लोसाई है
(d) लैक्स साइटस है

उत्तर (b) **[U.P. P.C.S. (J) 2016]**

व्याख्या—साक्ष्य विधि देशी विधि (Lex Fori) है Lex Fori विधि, वह विधि है जो पूरे राष्ट्र पर प्रभावी होती है।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव : प्रस्तावना।

☞ **''कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है।'' यह परिभाषा सम्बन्धित है :**

(a) सामण्ड से (b) स्टीफेन से
(c) फिप्सन से (d) बेंथम से

उत्तर (a) **[Uttarakhand A.P.O. 2016]**

व्याख्या—प्रो० सामण्ड ने कहा कि कोई भी ऐसा तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो, साक्ष्य कहलाता है।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजाराम यादव, अध्याय 1 : प्रारम्भिक।

☞ **निम्न में से कौन-कौन साक्ष्य विधि में सम्मिलित होते हैं?**

(a) युक्तियुक्त साधारण नियम
(b) साक्ष्य के विधिक नियम
(c) तार्किक नियम
(d) उपरोक्त सभी

उत्तर (b) **[Uttarakhand A.P.O. 2016]**

Explanation—In Case of *Ram Jas* v. *Surendra Nath*, A.I.R. 1990 All 385 The Court held that the law of Evidence in proudunal side of law which lays down the rules of Evidence.

Source—Indian Evidence Act—Batuk Lal, Chapter I—Preamble.

☞ **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अन्तर्गत प्रयुक्त ''न्यायालय'' शब्दावली में निम्न में से कौन नहीं आता है?**

(a) सभी न्यायाधीश
(b) सभी मजिस्ट्रेट
(c) साक्ष्य लेने के लिये वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति
(d) मध्यस्थ

उत्तर (d) **[Uttarakhand A.P.O. 2016]**

व्याख्या—साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार न्यायालय शब्द के अन्तर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिये वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव, अध्याय 1 : प्रारम्भिक।

☞ **कोई तथ्य, जब न तो साबित किया गया है और न नासाबित, कहा जायेगा :**

(a) साबित (b) साबित नहीं हुआ
(c) नासाबित (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर (b) **[U.P. P.C.S. (J) 2016]**

व्याख्या—साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह न तो साबित किया गया हो और न नासाबित।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजाराम यादव, अध्याय 1 : प्रारम्भिक।

तथ्यों की सुसंगति (धारा 5-55)

☞ **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अधीन सुसंगत तथ्य :**

(a) विधिक रूप से सुसंगत होना चाहिये
(b) तार्किक रूप से सुसंगत होना चाहिये
(c) विधिक रूप से या तार्किक रूप से सुसंगत होना चाहिये
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर (a) **[U.P. P.C.S. (J) 2016]**

व्याख्या—सुसंगतता का अर्थ है कि कौन से तथ्य न्यायालय के समक्ष साबित किये जा सकते हैं, जिन तथ्यों को साक्ष्य अधिनियम (धारा 6 से 55) के साबित करने की अनुमति है, उन्हें सुसंगत तथ्य कहा जाता है।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव, अध्याय 2 : तथ्यों की सुसंगति के विषय में।

Scanned by CamScanner

☞ **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अधीन *रेस जेस्टे* का सिद्धान्त लागू होता है :**

(a) केवल दीवानी मामलों में
(b) केवल फौजदारी मामलों में
(c) केवल प्रशासनिक अधिकरणों में
(d) दोनों (a) तथा (b) में

उत्तर (d) [U.P. P.C.S. (J) 2016]

व्याख्या— *रेस जेस्टे* का सिद्धान्त सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में लागू होता है।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव, अध्याय 2 : तथ्यों की सुसंगति के विषय में।

☞ **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 8 में निम्न में से कौन शब्दावली सुसंगतता के लिये सम्मिलित नहीं है?**

(a) हेतु (b) आशय
(c) तैयारी (d) आचरण

उत्तर (b) [Uttarakhand A.P.O. 2016]

व्याख्या—साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात् का आचरण सुसंगत है।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव, अध्याय 2 : तथ्यों की सुसंगति के विषय में।

☞ **'पहचान की कार्यवाही' साक्ष्य विधि के अधीन एक.....है।**

(a) सारवान् साक्ष्य
(b) संपोषक साक्ष्य
(c) श्रुति साक्ष्य
(d) कोई साक्ष्य नहीं

उत्तर (b) [Uttarakhand A.P.O. 2016]

व्याख्या—शिनाख्त परीक्षण उस साक्ष्य का सम्पोषण करता है, जो कि साक्षी न्यायालय के समक्ष देता है।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—डॉ० आर० सी० निगम, अध्याय 5 : सुसंगति।

☞ ***दूधनाथ पाण्डेय* बनाम *उत्तर प्रदेश राज्य*, वाद साक्ष्य विधि के किस विषय से सम्बन्धित है?**

(a) रेस जेस्टे (सम्बन्धित तथ्य) से
(b) अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक् से
(c) स्वीकृति से
(d) सहअपराधी से

उत्तर (b) [Uttarakhand A.P.O. 2016]

व्याख्या— *दूधनाथ पाण्डेय* बनाम *यू० पी०*, ए० आई० आर० 1981 एस० सी० 911, के मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवचन केवल तभी स्वीकार किया जा सकता है जब यह स्पष्ट किया गया हो कि अभियुक्त के लिये यह असम्भव था कि उसने अभिकथित स्थान पर प्रश्नगत अपराध किया था।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—डॉ० आर० सी० निगम, अध्याय 5 : सुसंगति।

☞ **'क' साशय असन द्वारा 'ख' की मृत्यु कारित करने के लिये हत्या के लिये विचारित है। यह तथ्य कि 'क' लोगों पर उनकी हत्या करने के आशय से असन करने का अभ्यासी था :**

(a) सुसंगत है
(b) विसंगत है
(c) न तो सुसंगत है न विसंगत है
(d) विवाद्यक तथ्य है

उत्तर (b) [U.P. P.C.S. (J) 2016]

व्याख्या—साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 का दृष्टान्त (0)— के अनुसार *क* साशय असन द्वारा *ख* की मृत्यु करने के कारण हत्या के लिये विचारित है।

यह तथ्य कि *क* ने अन्य अवसरों पर *ख* पर असन किया था, *क* का *ख* पर असन करने का आशय दर्शित करने के नाते सुसंगत है।

यह तथ्य कि *क* लोगों पर उसकी हत्या करने के आशय से असन करने का अभ्यासी था, विसंगत है।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—बेयर ऐक्ट—सी० एल० ए०, अध्याय 2 : तथ्यों की सुसंगति के विषय में।

☞ **निम्न में से कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में स्वीकृति कर सकता है?**

(a) वह व्यक्ति जिससे हित व्युत्पन्न हुआ
(b) एक स्वतन्त्र व्यक्ति
(c) कार्यवाही से सम्बन्धित साक्षी
(d) न्यायालय

उत्तर (a) [Uttarakhand A.P.O. 2016]

व्याख्या—निम्नलिखित व्यक्तियों के कथन स्वीकृति के रूप में सुसंगत माने जाते हैं :

(1) वाद के पक्षकार
(2) पक्षकारों के अभिकर्ता
(3) ऐसे व्यक्ति जो प्रतिनिधि की हैसियत में है
(4) पर व्यक्ति के कथन, इसमें निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित है :
  (क) वित्तीय या स्वामित्व हित रखने वाले व्यक्ति
  (ख) पक्षकारों से हित प्राप्त करने वाले व्यक्ति
  (ग) विवाद्यक या सुसंगत स्थिति धारण करने वाले व्यक्ति
  (घ) पक्षकारों द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्ति।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव, अध्याय 2 : तथ्यों की सुसंगति के विषय में।

☞ **एक अभियुक्त द्वारा की गयी संस्वीकृति दूसरे सहअभियुक्तगण के विरुद्ध सुसंगत है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की :**

(a) धारा 26 में
(b) धारा 27 में
(c) धारा 40 में
(d) धारा 30 में

उत्तर (d) [Uttarakhand A.P.O. 2016]

व्याख्या—साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के अनुसार जबकि एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिये संयुक्त रूप से विचारित हैं तथा ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली की गयी संस्वीकृति को साबित किया जाता है तब न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध तथा ऐसी संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विचार में ले सकेगा।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव, अध्याय 2 : तथ्यों की सुसंगति के विषय में।

Scanned by CamScanner

☞ **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा में हस्तलेख से सम्बन्धित राय को सुसंगत एवं मान्य किया गया है?**

(a) धारा 85क में (b) धारा 47 में
(c) धारा 113ख में (d) धारा 114क में

उत्तर (b) [Uttarakhand A.P.O. 2016]

व्याख्या—साक्ष्य अधिनियम की धारा 47 के अनुसार जबकि न्यायालय को राय बनानी हो कि कोई दस्तावेज किस व्यक्ति ने लिखी या हस्ताक्षरित की थी, जब उस व्यक्ति के हस्तलेख से, जिसके द्वारा वह लिखी या हस्ताक्षरित की गयी अनुमानित की जाती है, परिचित किसी व्यक्ति की राय कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखी या हस्ताक्षरित की गयी थी अथवा लिखी या हस्ताक्षरित नहीं की गयी थी, सुसंगत तथ्य है।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव, अध्याय 2 : तथ्यों की सुसंगति के विषय में।

☞ **भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निम्नलिखित में से कौन सी धारा रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय को सुसंगत बनाती है?**

(a) धारा 47 (b) धारा 49
(c) धारा 48 (d) धारा 50

उत्तर (c) [Uttarakhand A.P.O. 2016]

व्याख्या—साक्ष्य अधिनियम की धारा 48 के अनुसार जबकि न्यायालय को किसी साधारण रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय बनानी हो, तब ऐसी रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में उन व्यक्तियों की राय सुसंगत है, जो यदि उसका अस्तित्व होता तो सम्भाव्यता उसे जानते होते।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—बेयर ऐक्ट—सी० एल० ए०, अध्याय 2 : तथ्यों की सुसंगति के विषय में।

☞ **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अपराध में पीड़ित व्यक्ति का शील का साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में सुसंगत नहीं है :**

(a) धारा 52 में (b) धारा 54 में
(c) धारा 55 में (d) धारा 53-क में

उत्तर (d) [Uttarakhand A.P.O. 2016]

व्याख्या—साक्ष्य अधिनियम की धारा 53-क के अनुसार भा० द० सं० की धारा 354, धारा 354-क, धारा 354-ख, धारा 354-ग, धारा 354-घ या धारा 376-ङ के अधीन किसी अपराध के लिये किसी अभियोजन में या किसी ऐसे अपराध के करने के प्रयत्न के लिये, जहां सम्मति का प्रश्न विवाद्यक है, वहां पीड़ित के शील या किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सम्मति या सम्मति की गुणवत्ता के मुद्दे पर सुसंगत नहीं होगा।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव, अध्याय 2 : तथ्यों की सुसंगति के विषय में।

☞ **निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है?**

(a) सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिये शील विसंगत है
(b) दाण्डिक मामलों में पूर्वतन अच्छा शील सुसंगत है
(c) दाण्डिक कार्यवाहियों में उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा शील सुसंगत नहीं है
(d) दाण्डिक कार्यवाहियों में पूर्व दोषसिद्धि बुरे शील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत नहीं है

उत्तर (d) [U.P. P.C.S. (J) 2016]

व्याख्या—साक्ष्य अधिनियम की धारा 54 स्पष्टीकरण 2 के अनुसार पूर्व दोषसिद्धि बुरे शील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—बेयर ऐक्ट—सी० एल० ए०, अध्याय 2 : तथ्यों की सुसंगति के विषय में।

सबूत के विषय में (धारा 56-100)

☞ **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 60 में मौखिक साक्ष्य होना चाहिये :**

(a) केवल प्रत्यक्ष
(b) अनुश्रुत
(c) उपरोक्त (a) तथा (b) दोनों
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर (a) [Uttarakhand A.P.O. 2016]

व्याख्या—साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 के अनुसार मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में चाहे वे कैसी भी हों, प्रत्यक्ष ही होगा।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव, अध्याय 4 : मौखिक साक्ष्य के विषय में।

☞ **निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य विधि के अधीन श्रुति साक्ष्य के नियम का अपवाद नहीं है?**

(a) मृत्युकालिक कथन
(b) *रेस जेस्टे* (सम्बन्धित तथ्य)
(c) संस्वीकृति
(d) विशेषज्ञ की राय

उत्तर (d) [Uttarakhand A.P.O. 2016]

व्याख्या—अनुश्रुत साक्ष्य अग्राह्य है, इस नियम के निम्नलिखित अपवाद हैं:

(1) स्वीकृति और संस्वीकृति
(2) धारा 32 के अन्तर्गत सुसंगत कथन
(3) पूर्व कार्यवाहियों में कथन
(4) लोक दस्तावेजों के कथन
(5) *रेस जेस्टे*
(6) विशेषज्ञों की पुस्तकों में कथन

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव, अध्याय 4 : मौखिक साक्ष्य के विषय में।

☞ **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराओं में से निम्न किस धारा में ''इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख'' की ग्राह्यता को बताया गया है?**

(a) धारा 65 में (b) धारा 66 में
(c) धारा 65क में (d) धारा 65ख में

उत्तर (d) [U.P. P.C.S. (J) 2016]

व्याख्या—साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-ख में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता के बारे में उपबन्ध किया गया है।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव, अध्याय 5 : दस्तावेज साक्ष्य के विषय में।

☞ **आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 सम्बन्धित है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की :**

(a) धारा 53-A, 113-A, 113-B, 114-A से
(b) धारा 53-A, 113-B, 114-A से

Scanned by CamScanner

(c) धारा 53-A, 113-A, 114, 146 से
(d) धारा 53-A, 114-A, 119, 146 से

उत्तर (d) [Uttarakhand A.P.O. 2016]

व्याख्या—दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा धारा 53-A को जोड़ा गया तथा धारा 114 धारा 119, धारा 146 को पुरानी धाराओं 114-A, 119, 146 की जगह क्रमशः प्रतिस्थापित किया गया।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—बेयर ऐक्ट : सी० एल० ए०।

☞ **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अधीन किसी लोक दस्तावेज को साबित किया जा सकता है :**

(a) मौखिक साक्ष्य के द्वारा
(b) दस्तावेज को देने वाले के शपथ-पत्र द्वारा
(c) प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा
(d) उपर्युक्त किसी से नहीं

उत्तर (c) [Uttarakhand A.P.O. 2016]

व्याख्या—लोक दस्तावेज के बारे में विशेष नियम यह है कि उन्हें प्रमाणित प्रतियों द्वारा साबित किया जा सकता है।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव, अध्याय 5 : दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में।

☞ **लोक दस्तावेज वर्णित है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की :**

(a) धारा 72 में (b) धारा 73 में
(c) धारा 74 में (d) धारा 75 में

उत्तर (c) [Uttarakhand A.P.O. 2016]

व्याख्या—साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज लोक दस्तावेज है :

(1) वे दस्तावेज जो :
  (i) प्रभुतासम्पन्न प्राधिकारी के,
  (ii) शासकीय निकायों और अभिकरणों के, तथा
  (iii) भारत के किसी भाग के या कॉमनवेल्थ के या किसी विदेश के विधायी, न्यायिक तथा कार्यपालक लोक ऑफिसरों के कार्यों के रूप में या कार्यों के अभिलेख के रूप में है।
(2) किसी राज्य में रखे गये प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव, अध्याय 5 : दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में।

साक्ष्यों का पेश किया जाना और उसका प्रभाव (धारा 101-167)

☞ **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की किस धारा में 'जीवन की उपधारणा' उपबन्धित है?**

(a) धारा 108 में
(b) धारा 106 में
(c) धारा 104 में
(d) धारा 107 में

उत्तर (d) [Uttarakhand A.P.O. 2016]

व्याख्या—साक्ष्य अधिनियम की धारा 107 के अनुसार जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह दर्शित किया गया है कि वह बीस वर्ष के भीतर जीवित था तब यह साबित करने का भार, कि वह मर गया है उस व्यक्ति पर है जो उसे प्रतिज्ञात करता है।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव, अध्याय 7 : सबूत के भार के विषय में।

☞ **"कब्जा स्वामित्व का *प्रथम दृष्टया* सबूत है" यह सिद्धान्त भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की निम्न में से किस धारा में दिया गया है?**

(a) धारा 111 में
(b) धारा 110 में
(c) धारा 116 में
(d) धारा 117 में

उत्तर (b) [Uttarakhand A.P.O. 2016]

व्याख्या—साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 के अनुसार जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति ऐसी चीज का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा होना दर्शित किया गया है। तब यह साबित करने का भार कि वह स्वामी नहीं है, उस व्यक्ति पर है, जो प्रतिज्ञात करता है कि वह स्वामी नहीं है।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव, अध्याय 7 : सबूत के भार के विषय में।

☞ **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 112 में प्रावधान है :**

(a) जीवन की उपधारणा का
(b) विवाह की उपधारणा का
(c) मृत्यु की उपधारणा का
(d) धर्मजत्व की उपधारणा का

उत्तर (d) [U.P. P.C.S. (J) 2016]

व्याख्या—साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के अनुसार यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का नाम उसकी माता और किसी पुरुष के बीच विधिमान्य विवाह के कायम रहते हुये या उसका विघटन होने के उपरान्त माता के अविवाहित रहते हुये दो सौ अस्सी दिन के भीतर हुआ, इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वह उस पुरुष का धर्मज, औरस या वैध पुत्र है, जब तक कि पक्षकारों की परस्पर पहुंच ऐसे समय न रही हो, जबकि उसका गर्भाधान किया जा सकता था।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव, अध्याय 7 : सबूत के भार के विषय में।

2015

सामान्य (धारा 1-4)

☞ **निम्न में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के लागू होने की सही तारीख है :**

(a) 15 मार्च, 1872 (b) 1 सितम्बर, 1872
(c) 1 जुलाई, 1872 (d) 1 फरवरी, 1872

उत्तर (b) [U.P. P.C.S. (J) 2015]

Scanned by CamScanner

व्याख्या—भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 सितम्बर, 1872 को प्रवृत्त हुआ।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव—अध्याय 1 : प्रारम्भिक।

☞ **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अन्तर्गत साक्ष्य विधि है :**

(a) मौलिक विधि
(b) प्रक्रिया विधि
(c) मौलिक एवं प्रक्रिया विधि
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर (b) [U.P. P.C.S. (J) 2015]

व्याख्या—साक्ष्य विधि प्रक्रिया विधि है।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव—अध्याय : प्रस्तावना।

☞ **साक्ष्य अधिनियम के अधीन चिकित्सकीय साक्ष्य का मूल्य**

(a) केवल सम्पोषक है
(b) निश्चायक है
(c) सहायक नहीं है
(d) प्रत्यक्ष साक्षी के विश्वसनीय तथा सच्चे साक्ष्य के विपरीत भी निश्चायक है।

उत्तर (a) [U.P. A.P.O. 2015]

व्याख्या—साधारणतया चिकित्सीय साक्ष्य का मूल्य केवल संपुष्टिकारक होता है। वह यह सिद्ध करती है कि चोटें उस हालत में पहुँचायी गयी, जिस हालत में आरोपित है।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव—अध्याय 1 : प्रारम्भिक।

☞ **किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को कहा जाता है**

(a) सकारात्मक तथ्य
(b) सुसंगत तथ्य
(c) विवादक तथ्य
(d) सकारात्मक तथ्य

उत्तर (c) [U.P. A.P.O. 2015]

व्याख्या—विवादक तथ्य का तात्पर्य उन तथ्यों से है जिसको किसी वाद में एक पक्षकार प्रस्तुत करता है और दूसरा पक्षकार उसे या तो अस्वीकार करता है या इन्कार करता है और अधिक सरल शब्दों में वे विषय जो पक्षकारों के बीच विवादग्रस्त होते हैं, वे विवाद्यक तथ्य कहलाते हैं।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव—अध्याय 1 : प्रारम्भिक।

☞ **साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस तिथि से शामिल किया गया ?**

(a) 17 अक्टूबर, 2000
(b) 10 अक्टूबर, 2000
(c) 2 अक्टूबर, 2000
(d) 14 नवम्बर, 2000

उत्तर (b) [U.P. A.P.O 2015]

व्याख्या—साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रानिक अभिलेखों को, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 द्वारा शामिल किया गया।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव—अध्याय 1 : प्रारम्भिक।

☞ **क पर ख की हत्या का आरोप है। उसके विचारण में निम्नांकित में कौन विवाद्यक तथ्य हो सकते हैं ?**

1. क ने ख की हत्या की
2. क एक ईमानदार व्यक्ति है
3. क को ख से गम्भीर और अचानक प्रकोपन मिला
4. क को सामाजिक सेवाओं के लिये पुरस्कृत किया गया था।

सही उत्तर चुनिये :

(a) 1 तथा 2 (b) 1 तथा 3
(c) 1, 2 तथा 3 (d) 1, 2, 3 तथा 4

उत्तर (b) [U.P. A.P.O. 2015]

व्याख्या—साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत "विवाद्यक तथ्य" का दृष्टांत—

ख की हत्या का क अभियुक्त है। उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद्य हो सकते हैं—

यह कि क ने ख की मृत्यु कारित की,

यह कि क का आशय ख की मृत्यु कारित करने का था,

यह कि क को ख से गम्भीर और अचानक प्रकोपन मिला था,

यह कि ख को मृत्यु कारित करने का कार्य करते समय क चित्तविकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ था।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—बेयर ऐक्ट—सी०एल०ए०—अध्याय 1 : प्रारम्भिक।

☞ **आर० एम० मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए० आई० आर० 1973 सु० को० 157, किसकी ग्राह्यता से सम्बन्धित है ?**

(a) टेप रिकार्ड किया हुआ साक्ष्य,
(b) पुलिस से की गयी संस्वीकृति,
(c) विशेषज्ञ राय
(d) अनुश्रुत साक्ष्य

उत्तर (a) [U.P. A.P.O. 2015]

व्याख्या—आर० एम० मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए० आई० आर० 1973 सु० को० 157, के मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि टेप रिकार्ड साक्ष्य हो सकते हैं किन्तु केवल उस साक्षी के कथन की संपुष्टि में जो यह कहता है कि उसके और दूसरे वक्ता के बीच वही बातचीत हुई थी जो टेप द्वारा अभिलिखित की गयी है।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव—अध्याय 1 : प्रारम्भिक।

☞ **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अन्तर्गत निम्न में से कौन एक न्यायालय पद की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है ?**

(a) सभी न्यायाधीश
(b) सभी मजिस्ट्रेट
(c) सभी जनपदीकता फोरम
(d) विधिक रूप से साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत सभी व्यक्ति

उत्तर (c) [U.P. P.C.S. (J) 2015]

Scanned by CamScanner

व्याख्या—साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में न्यायालय शब्द परिभाषित है। इसके अनुसार न्यायालय शब्द के अन्तर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव—अध्याय 1 : प्रारम्भिक।

तथ्यों की सुसंगति (धारा 5-55)

☞ **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की निम्न किस धारा में बताया गया है कि साक्ष्य विवाद्यक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का दिया जा सकेगा ?**

(a) धारा 3 (b) धारा 4
(c) धारा 5 (d) धारा 60

उत्तर (c) [U.P. P.C.S. (J) 2015]

व्याख्या—साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 के अनुसार किसी वाद या कार्यवाही में हर विवाद्यक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा, और किन्हीं अन्यों का नहीं।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव—अध्याय 2 : तथ्यों की सुसंगति के विषय में।

☞ **साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा सम्बन्धित तथ्य और कार्य (रेस जेस्टी) से सम्बन्धित है ?**

(a) धारा 7 (b) धारा 9
(c) धारा 10 (d) धारा 6

उत्तर (d) [U.P. A.P.O. 2015]

व्याख्या—साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में वे तथ्य ग्राह्य हैं जो रेस जेस्टे के अन्तर्गत आते हैं।

धारा 6 के अनुसार जो तथ्य विवाद्यक न होते हुए भी किसी विवाद्यक तथ्य से उस प्रकार संसक्त हैं कि वे एक ही संव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव—अध्याय 2 : तथ्यों की सुसंगति के विषय में।

☞ **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अन्तर्गत तथ्यों की सुसंगतता जो एक ही संव्यवहार के भाग हैं, निम्न में से किस धारा में बताया गया है ?**

(a) धारा 6 में (b) धरा 7 में
(c) धारा 8 में (d) धारा 11 में

उत्तर (a) [U.P. P.C.S. (J) 2015]

व्याख्या—साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अनुसार जो तथ्य विवाद्यक न होते हुए भी किसी विवाद्यक तथ्य से उस प्रकार संसक्त हैं कि वे एक ही संव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसगत है, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव—अध्याय 2 : तथ्यों की सुसंगति के विषय में।

☞ **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 8 में सुसंगतता के लिए निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है ?**

(a) आशय (b) हेतु
(c) तैयारी (d) आचरण

उत्तर (a) [U.P. P.C.S. (J) 2015]

व्याख्या—साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में तीन प्रकार के तथ्यों की सुसंगति के बारे में नियम बनाये गये हैं—

(1) हेतु, (2) तैयारी, तथा (3) आचरण-पूर्व या बाद का।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव—अध्याय 2 : तथ्यों की सुसंगति के विषय में।

☞ **शिनाख्त परेड की जा सकती है :**

(a) केवल पुलिस अधिकारी द्वारा
(b) केवल मजिस्ट्रेट द्वारा
(c) केवल लोक सेवक द्वारा
(d) किसी भी व्यक्ति द्वारा

उत्तर (d) [U.P. P.C.S. (J) 2015]

व्याख्या—*राम किशन बनाम राज्य, ए० आई० आर० 1953* बिलासपुर 3, के मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि कोई भी व्यक्ति परीक्षण शिनाख्त कर सकता है।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव—अध्याय 2 : तथ्यों की सुसंगति के विषय में।

☞ **अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक्—**

(a) भारतीय दण्ड संहिता में विशेष अपवाद है
(b) भारतीय दण्ड संहिता में सामान्य अपवाद है
(c) साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में मान्य साक्ष्य का एक नियम है
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर (c) [U.P. A.P.O. (J) 2015]

व्याख्या—साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के अनुसार वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं, सुसंगत होते हैं—

(1) यदि वे विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं,

(2) यदि वे स्वयमेव या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व अत्यन्त अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बनाते हैं।

प्रोफेसर विगमोर ने असंगत तर्क के निम्न पांच मामले बताये हैं—

(1) आरोपित व्यक्ति का घटना स्थल से अन्य स्थान में होना,

(2) पति की अनुपस्थिति,

(3) अभिकथित मृतक व्यक्ति का मृत्यु समय के पश्चात् जीवित पाया जाना,

(4) अपराध का अन्य द्वारा कारित किया जाना,

(5) आत्महत्या या अन्य स्वीकृति क्षति।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—डा० आर० सी० नियम—अध्याय 5 : सुसंगति।

☞ **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधान अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?**

(a) वे तथ्य जो किसी विवाद्यक तथ्य से असंगत हैं, सुसंगत नहीं होंगे।

(b) वे तथ्य, जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं, सुसंगत हैं, यदि वे स्वयमेव या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व अत्यन्त अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बनाते हैं।

(c) कोई भी तथ्य, जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित या गठित करता है, सुसंगत है

Scanned by CamScanner

(d) स्वीकृतियां, स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है, किन्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन विबन्ध के रूप में प्रवर्तित हो सकेंगे

उत्तर (a) [R.J.S. 2015]

व्याख्या—साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के अनुसार वे तथ्य, जो अन्यथा सुसंगत नही हैं तब सुसंगत है—(1) यदि वे किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत है,

यदि वे स्वयमेय या अन्य तथ्यों के संसगत में किसी विवाद्यक तथ्य का अस्तित्व या अस्तित्व अत्यन्त अधिसम्भाव्य या अनाधिसम्भाव्य बनाते है।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—बेयर एक्ट, सी० एल० ए०, अध्याय 2 : तथ्यों की सुसंगति के विषय में।

☞ **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की निम्नलिखित में से कौन धारा स्वीकृति को परिभाषित करती है ?**

(a) धारा 17 (b) धारा 18
(c) धारा 19 (d) धारा 20

उत्तर (a) [U.P. P.C.S. (J) 2015]

व्याख्या—साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के अनुसार स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रानिक रूप में अन्तर्विष्ट कथन है, जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है और जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जो धारा 18 से 20 में वर्णित है।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—बेयर ऐक्ट—सी०एल०ए०—अध्याय 2 : तथ्यों की सुसंगति के विषय में।

☞ **भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति कौन कर सकता है ?**

(a) वह व्यक्ति जिससे हित उत्पन्न हुआ है
(b) एक स्वतंत्र व्यक्ति
(c) कार्यवाही से सम्बन्धित गवाह
(d) न्यायालय

उत्तर (a) [U.P.A.P.O. 2015]

व्याख्या—साक्ष्य अधिनियम की धारा 18, 19 और 20 के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्ति स्वीकृति कर सकते हैं—

(1) कार्यवाही के पक्षकार,

(2) पक्षकारों द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता,

(3) ऐसे पक्षकार जो प्रतिनिधि की हैसियत में हैं,

(4) ऐसे व्यक्ति जिनका कार्यवाही की विषयवस्तु में साम्पत्तिक या धन सम्बन्धी हित है,

(5) ऐसे व्यक्ति जिससे वाद के पक्षकारों का वाद की विषय-वस्तु में हित व्युत्पन्न हुआ है,

(6) पर व्यक्तियों के कथन या स्वीकृतियाँ निम्न परिस्थितियों में ग्राह्य हैं—

(i) यदि ऐसी स्वीकृतियाँ उन व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत हैं,

(ii) यदि ऐसे कथन उक्त व्यक्ति की स्थिति और दायित्व के अस्तित्व के समय में किये गये हों।

(7) ऐसे मध्यस्थ के कथन जिन्हें वाद या कार्यवाही का पक्षकार विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी के लिए अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट करता है।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव—अध्याय 2 : तथ्यों की सुसंगति के विषय में।

☞ **निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिक वैधता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गयी थी ?**

(a) *उ० प्र०* बनाम *देवमन उपाध्याय*
(b) *बम्बई राज्य* बनाम *काटीकालू*
(c) *इनायतुल्लाह* बनाम *महाराष्ट्र राज्य*
(d) *नन्दिनी सतपथी* बनाम *पी० एल० धानी*

उत्तर (a) [U.P. A.P.O. 2015]

व्याख्या—*उ० प्र० राज्य* बनाम *देवमन उपाध्याय*, ए० आई० आर 1960 एस० सी०1125, के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करती है, और संवैधानिक है।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव—अध्याय 2 : तथ्यों की सुसंगति के विषय में।

☞ **''मृत्युकालिक कथन'' हो सकता है :**

(a) मौखिक
(b) लिखित
(c) सम्प्रेषण के किसी भी पर्याप्त तरीके में
(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर (d) [U.P. A.P.O. 2015]

व्याख्या—मृत्युकालिक कथन के लिए किसी विशिष्ट प्रारूप को नहीं अपनाया जाता। यह लिखित या मौखिक या अंशत: लिखित या अंशत: मौखिक हो सकता है। दूसरी ओर न तो लिखित न ही मौखिक परन्तु संकेतों के रूप में भी हो सकता है।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव—अध्याय 2 : तथ्यों की सुसंगति के विषय में।

☞ **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विधि की पुस्तकों में अन्तर्विष्ट विधि के कथनों की सुसंगतता से सम्बन्धित है ?**

(a) धारा 37 (b) धारा 38
(c) धारा 36 (d) धारा 39

उत्तर (b) [U.P. P.C.S. (J) 2015]

व्याख्या—साक्ष्य अधिनियम की धारा 38 के अनुसार जबकि न्यायालय को किसी देश की विधि के बारे में राय बनानी है, तब ऐसी विधि का कोई भी कथन, जो ऐसी किसी पुस्तक में अन्तर्विष्ट है, जो ऐसे देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित और ऐसी किसी विधि को अन्तर्विष्ट करने वाली तात्पर्यित है और ऐसे देश के न्यायालय के किसी विनिर्णय की कोई रिपोर्ट, जो ऐसे विनिर्णयों की रिपोर्ट तात्पर्यित होने वाली किसी पुस्तक में अन्तर्विष्ट है, सुसंगत है।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव—अध्याय 2 : तथ्यों की सुसंगति के विषय में।

☞ **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अधीन विशेषज्ञ की राय नहीं ली जा सकती :**

(a) विदेशी विधि पर
(b) विज्ञान या कला पर
(c) भारतीय विधि पर
(d) अंगुलि चिह्न पर

उत्तर (c) [U.P. A.P.O. 2015]

Scanned by CamScanner

व्याख्या—भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अनुसार जबकि न्यायालय को विदेशी विधि की या विज्ञान की या कला की किसी बात पर या हस्तलेख या अंगुलि चिह्न की अनन्यता के बारे में राय बनानी हो, तब उस बात पर ऐसी विदेशी विधि, विज्ञान या कला में या हस्तलेख या अंगुलि चिह्नों की अनन्यता विषयक प्रश्नों में, विशेष व्यक्तियों की राय सुसंगत तथ्य हैं।

ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाते हैं।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव—अध्याय 2 : तथ्यों की सुसंगति के विषय में।

☞ **निम्न में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा साक्ष्य विधि अधिनियम, 1872 में धारा 53-A जोड़ी गई है ?**

(a) सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा
(b) भारतीय साक्ष्य (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा
(c) दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा
(d) दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा

उत्तर (d) [U.P. P.C.S. (J) 2015]

व्याख्या—दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 53-क कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—बेयर ऐक्ट—सी० एल० ए०—अध्याय 2 : तथ्यों की सुसंगति के विषय में।

☞ **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अपराध में पीड़ित का शील साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में संगत नहीं है ?**

(a) धारा 53-क (b) धारा 114-क
(c) धारा 53 (d) धारा 119

उत्तर (a) [U.P. A.P.O. 2015]

व्याख्या—धारा 53-क कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (बेयर एक्ट सी० एल० ए०), अध्याय 2 : तथ्यों की सुसंगति के विषय में।

☞ **''नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील' की भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की निम्न किस धारा में विवेचना की गई है ?**

(a) धारा 55 में (b) धारा 56 में
(c) धारा 57 में (d) धारा 58 में

उत्तर (a) [U.P. P.C.S. (J) 2015]

व्याख्या—साक्ष्य अधिनियम की धारा 55 के अनुसार सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का शील ऐसा है, जिससे नुकसानी की रकम पर जो उसे मिलनी चाहिए, प्रभाव पड़ता है, सुसंगत है।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव—अध्याय 2 : तथ्यों की सुसंगति के विषय में।

सबूत के विषय में (धारा 56-100)

☞ **सूची I तथा सूची II का सम्मिलन करें तथा दिये गये कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिये :**

	सूची I		सूची II
A.	दस्तावेज	1.	धारा 3
B.	प्राथमिक साक्ष्य	2.	धारा 62
C.	द्वितीयक साक्ष्य	3.	धारा 63
D.	मौखिक साक्ष्य	4.	धारा 60

कूट

	A	B	C	D
(a)	2	3	1	4
(b)	1	2	3	4
(c)	3	2	1	4
(d)	2	1	4	3

उत्तर (b) [U.P. A.P.O. 2015]

व्याख्या—सुमेलित निम्न प्रकार है—

धारा 3 — दस्तावेज
धारा 62 — प्राथमिक साक्ष्य
धारा 63 — द्वितीयक साक्ष्य
धारा 60 — मौखिक साक्ष्य

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—बेयर ऐक्ट—सी० एल० ए०—अध्याय 4, 5 : मौखिक साक्ष्य के विषय में, दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में।

☞ **निम्नलिखित में से कौन ''लोक दस्तावेज'' नहीं है ?**

(a) गिरफ्तारी का वारंट
(b) आरोप पत्र
(c) शव-परीक्षण रिपोर्ट
(d) एक पंजीकृत विक्रय-विलेख

उत्तर (c) [U.P. A.P.O. 2015]

व्याख्या—बैनामा जो सब-रजिस्ट्रार के दफ्तर में महफूज रखी जाती है, एक लोक दस्तावेज है।

गिरफ्तारी का वारन्ट और चार्जशीट लोक दस्तावेज है।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव—अध्याय 5 : दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में।

☞ **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की निम्न कौन धारा इलेक्ट्रानिक करार के बारे में उपधारणा से सम्बन्धित है ?**

(a) धारा 81-क (b) धारा 85-ग
(c) धारा 88-क (d) धारा 85-क

उत्तर (d) [U.P. P.C.S. (J) 2015]

व्याख्या—साक्ष्य अधिनियम की धारा 85-क के अनुसार न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि प्रत्येक इलेक्ट्रानिक अभिलेख, जो पक्षकारों के इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर को अन्तर्विष्ट करने वाला करार होना तात्पर्यित है, इस प्रकार पक्षकारों के इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर के साथ किया गया था।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—बेयर ऐक्ट—सी० एल० ए०—अध्याय 5 : दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं।

साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव (धारा 101-167)

☞ **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नांकित किस धारा में ''जीवन की उपधारणा'' उपबन्धित है ?**

(a) धारा 108 (b) धारा 106
(c) धारा 104 (d) धारा 107

उत्तर (d) [U.P. A.P.O. 2015]

Scanned by CamScanner

व्याख्या—साक्ष्य अधिनियम की धारा 107 के अनुसार जबकि प्रश्न यह है कि कोई व्यक्ति जीवित है या मर गया है और यह दर्शित किया गया है कि वह तीस वर्ष के भीतर जीवित था, तब यह साबित करने का भार कि वह मर गया है, उस व्यक्ति पर है जो उसे प्रतिज्ञात करता है।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव—अध्याय 7 : सबूत के भार के विषय में।

☞ **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न कौन सी धारा ''कब्जा पूर्ण स्वामित्व का प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य है'' के सिद्धान्त को प्रभाव में लाती है ?**

(a) धारा 110 (b) धारा 112
(c) धारा 113 (d) धारा 114

उत्तर (a) [U.P. A.P.O. 2015]

व्याख्या—साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 के अनुसार जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति ऐसी चीज का स्वामी है, जिस पर उसका कब्जा होना दर्शित किया गया है। तब यह साबित करने का भार कि वह स्वामी नहीं है, उस व्यक्ति पर है, जो प्रतिज्ञात करता है कि वह स्वामी नहीं है।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव—अध्याय 7 : सबूत के भार के विषय में।

☞ **साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन अनेक वर्षों का लगातार सहवास, विवाह की अवधारणा कर सकता है ?**

(a) धारा 112
(b) धारा 50
(c) धारा 114
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर (c) [U.P. A.P.O. 2015]

व्याख्या—*मनमोहन सिंह* बनाम *रजनीकान्त*, ए० आई० आर० 2010 एस० सी० 2933, के मामले में निर्णीत किया गया कि जब साथ-साथ रहने वाला रिश्ता काफी समय के लिए चल चुका हो तो इसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि यह एक ऐसा रिश्ता है जिसका कोई भी पक्षकार जब चाहे आ जाये और जब चाहे चला जाये क्योंकि ऐसे रिश्ते से विवाह की उपधारणा पैदा होती है।

☞ **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 :**

(a) विधिक कल्पना का सृजन करती है
(b) अवधारणा का उपबन्ध नहीं करती है
(c) डी०एन०ए० परीक्षण द्वारा खण्डनीय निश्चायक उपधारणा का उपबन्ध करती है
(d) किसी भी स्थिति में अखंडनीय निश्चायक परख का उपबन्ध करती है

उत्तर (a) [U.P. A.P.O. 2015]

व्याख्या—भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के अधीन उपधारणा विधि की निश्चायक उपधारणा है जिसे विवाह के पक्षकारों का उस समय परस्पर पहुंच न होने के सबूत के द्वारा ही विस्थापित किया जा सकता है, जबकि प्रकृति के मामूली अनुक्रम में पति उस बच्चे का पिता हो सकता था।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव—अध्याय 7 : सबूत के भार के विषय में।

☞ **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की निम्न कौन सी धारा दहेज प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 1986 के द्वारा अन्तः स्थापित की गई है?**

(a) धारा 11-क
(b) धारा 113-ख
(c) धारा 113-ख
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर (c) [U.P. P.C.S. (J) 2015]

व्याख्या—दहेज प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 1986 द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ख दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा को अन्त:स्थापित किया गया।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—बेयर ऐक्ट—सी० एल० ए०—अध्याय 7 : सबूत के भार के विषय में।

☞ **शरद चन्द्र डे बनाम गोपाल चन्द्र लाहा का वाद सम्बन्धित है**

(a) संस्वीकृति से (b) षडयंत्र से
(c) उपधारणा से (d) विबंध से

उत्तर (d) [U.P. A.P.O. 2015]

व्याख्या—*शरद चन्द्र डे* बनाम *गोपाल चन्द्र लाहा*, आई० एल० आर० 22 कल० 296, के मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि विबन्ध कपट या प्रवंचना से किया गया आवश्यक नहीं है।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव—अध्याय 8 : विबन्ध।

☞ **बोलने में असमर्थ एक साक्षी, खुले न्यायालय में संकेतों से साक्ष्य देता है। ऐसा साक्ष्य :**

(a) मौखिक साक्ष्य है
(b) द्वितीयक साक्ष्य है
(c) विशिष्ट साक्ष्य है
(d) परिस्थितिजन्य साक्ष्य है

उत्तर (a) [U.P. A.P.O. 2015]

व्याख्या—साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 के अनुसार वह साक्षी जो बोलने में असमर्थ है, अपना साक्ष्य किसी अन्य प्रकार से,जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सकता हो, यथा लिखकर या संकेतों द्वारा दे सकेगा, किन्तु ऐसे लेख और वे संकेत खुले न्यायालय में ही लिखने होंगे। इस प्रकार दिया हुआ साक्ष्य मौखिक साक्ष्य ही समझा जायेगा।

स्रोत—भारतीय साक्ष्य अधिनियम—राजा राम यादव—अध्याय 9 : साक्षियों के विषय में।

☞ **कथन (A) : साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 का परन्तुक ''स्वयं को अपराध में फंसाने'' के विरुद्ध नियम का एक पक्ष है।**

कथन (R) : साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 की नीति न्याय के लिये साक्ष्य प्राप्त करना है। उपरोक्त में :

(a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R) (A) का सही स्पष्टीकरण है
(b) (A) और (R)दोनों सही हैं किन्तु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(c) (A) सही है, किन्तु (R) गलत है
(d) (A) गलत है, किन्तु (R) सही है

उत्तर (a) [U.P.A.P.O. 2015]

Scanned by CamScanner